

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0  
प्रकरण संख्या - 70/2019 (Bank Case)

दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL)302/5, तृतीय तल,  
जयपुर टावर एम.आई.रोड जयपुर राजस्थान ।

- प्रार्थी बैंक.

बनाम

1. श्री धर्मदास हृन्दराजमल, 6-वी-17, महावीर नगर विस्तार योजना,  
दादाबाडी कोट-324009 राज0 (ऋणी व बंधककर्ता)  
एवं  
निवासी-दुकान नं.-बी 67, न्यू ग्रीन मंडी फूट एवं वेजीटेबल गौण मंडी  
यार्ड नियर डी.सी.एम. रोड, कोटा-324007 राज0  
एवं  
कार्यालय पता- बी-67 न्यू ग्रीन मंडी कोटा-324007 राज0
2. श्रीमति लता देवी, निवासी दुकान नं0-बी-67 न्यू ग्रीन मंडी फूट एवं  
वेजीटेबल गौण मंडी यार्ड नियर डी.सी.एम रोड कोटा-324007  
(सहऋणी)  
एवं  
निवासी-6-वी-17 ग्रीन पार्क के सामने महावीर नगर विस्तार योजना,  
कोटा-324009 राज0
3. श्री लक्ष्मण दास, निवासी-6-वी-17 ग्रीन पार्क के सामने महावीर नगर  
विस्तार योजना, कोटा-324009 राज0 (सहऋणी)  
एवं  
दुकान नं.-बी 67, न्यू ग्रीन मंडी फूट एवं वेजीटेबल गौण मंडी यार्ड  
नियर डी.सी.एम. रोड कोटा-324007 राज0



प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 (1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन  
अधिनियम 2002 (The Securitisation and Reconstruction of  
Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,  
2002)

उपस्थित

1. श्री कुलदीप सिंह जादौन, अधिवक्ता, बैंक की ओर से

निर्णय

दिनांक: 12.06.2019


प्रार्थी दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL)302/5, तृतीय तल,  
जयपुर टावर एम.आई.रोड जयपुर राजस्थान से अप्राथीगण ने ऋण करार संख्या  
00002156 दिनांक 31.05.2016 को 25,56,366/- (अक्षरे: रूपय पच्चीस लाख, छप्पन  
हजार, तीन सौ छियांसठ मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्राथी सं0 1 ने ऋण व उसके  
मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति दुकान नंबर-बी-67,  
न्यू ग्रीन मंडी फूट एवं वेजिटेबल गौण मंडी नियर डी.सी.एम. रोड, कोटा 324007 राज0 में  
स्थित है, जो कि श्री धर्मदास पुत्र श्री हृन्दराजमल के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल  
360 वर्गफुट है । जिसका रजिस्टर्ड पट्टा विलेख दिनांक 27.06.2008 से कृषि उपज

मण्डी समिति द्वारा सम्पादित है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण का खाते को दिनांक 01.07.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 25,69,848/- रुपये (अक्षरे रुपये पच्चीस लाख उन्हत्तर हजार सौ आठ सौ अड़तालिस मात्र) बकाया रकम दिनांक 18.07.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 20.07.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र लोकमत में दिनांक 20.08.2018 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र 'दी इंडियन एक्सप्रेस' में दिनांक 20.8.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्णभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 20.07.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र लोकमत में दिनांक 20.08.2018 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र 'दी इंडियन एक्सप्रेस' में दिनांक 20.8.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 20.07.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र लोकमत में दिनांक 20.08.2018 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र 'दी इंडियन एक्सप्रेस' में दिनांक 20.8.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अचल सम्पत्ति दुकान नंबर-बी-67, न्यू ग्रीन मंडी फूट एवं वेजिटेबल गौण मंडी नियर डी.सी.एम. रोड, कोटा 324007 राज0 में स्थित है, जो कि श्री धर्मदास पुत्र श्री हृन्दराजमल के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 360 वर्गफुट है। जिसका रजिस्टर्ड पट्टा विलेख दिनांक 27.06.2008 से कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सम्पादित है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 12.06.2019 को सुनाया गया।

  
(मुक्तानन्द अग्रवाल)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा



## न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 65/2019 (Bank Case)

कैन फिन होम्स लिमिटेड शाखा - 1-सी-18, एसएफएस, प्रथम तल, फ्रंट साइड, शीला चौधरी रोड, कैडिटर तलवंडी, कोटा जरि प्राधिकृत अधिकारी

- प्रार्थी बैंक.

बनाम

1. श्रीमति डीम्पल खींची पत्नि श्री गुमानसिंह, मकान नं० ए-19/बी, (कॉर्नर), खसरा नं. 41, उज्जवल बिहार, गांव देवली अरब, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०) (अप्रार्थी ऋणी व बंधककर्ता)
2. श्री गुमान सिंह पुत्र श्री देव सिंह, मकान नं० ए-19/बी, (कॉर्नर), खसरा नं. 41, उज्जवल बिहार, गांव देवली अरब, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०) (ऋणी व बंधककर्ता)
3. श्री राहुल सिंह पुत्र स्व० श्री बलवन्त सिंह, क्वार्टर नं. 41, सेन्टर जैल, आवासीय परिसर, नयापुरा जिला कोटा (राज०) (गारंटर)



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

उपस्थित

1. श्री अमर सिंह नरुका, अधिवक्ता, बैंक की ओर से

निर्णय

दिनांक: 12.06.2019

प्रार्थी कैन फिन होम्स लिमिटेड शाखा - 1-सी-18, एसएफएस, प्रथम तल, फ्रंट साइड, शीला चौधरी रोड, कैडिटर तलवंडी, कोटा से अप्रार्थीगण ने दिनांक 22.06.2017 को 25,00,000/- (अक्षरे: रूपय पच्चीस लाख, मात्र) एवं द्वितीय ऋण दिनांक 16.10.2017 को 7,00,000/- (अक्षरे: रूपये सात लाख मात्र) कुल रू० 32,00,000/- (अक्षरे: बत्तीस लाख मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी सं० 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति मकान नं० ए-19/बी (कॉर्नर) खसरा नं० 41 उज्जवल बिहार, गांव देवली अरब, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज०) स्थित आवासीय सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 97.22 वर्गगज है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.7.2017 से अप्रार्थीगण श्रीमति डीम्पल खींची पत्नि श्री गुमान सिंह एवं श्री गुमान सिंह पुत्र श्री देवसिंह के नाम है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण का खाते को दिनांक 31.12.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उसके खाते में 33,22,326/- रूपये ( अक्षरे रूपये तैंतीस लाख, बाईस हजार, तीन सौ छब्बीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 07.01.2019 तक शेष देय हैं व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र हाडौती केसरी में दिनांक 15.


जिला कलेक्टर  
कोटा

02.2019 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "The Economic Times " में दिनांक 15.2.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र हाडौती केसरी में दिनांक 15.02.2019 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "The Economic Times " में दिनांक 15.2.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र हाडौती केसरी में दिनांक 15.02.2019 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "The Economic Times" में दिनांक 15.2.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । अचल सम्पत्ति मकान नं0 ए-19/बी (कॉर्नर) खसरा नं0 41 उज्जवल बिहार, गांव देवली अरब, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0) स्थित आवासीय सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 97.22 वर्गगज है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.7.2017 से अप्रार्थीगण श्रीमति डीम्पल खींची पत्नि श्री गुमान सिंह एवं श्री गुमान सिंह पुत्र श्री देवसिंह के नाम है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्व कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 12.06.2019 को सुनाया गया ।

  
(मुक्तानन्द अग्रवाल)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

